कार्यालय रांची नगर निगम, रांची।

बन्दोंबस्ती की शर्ते।

1 आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2018 से 11.08.2018 तक 500/–रू0 जमा कर बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

2 बन्दोबस्ती 03 वर्ष तक के लिए 01.09.2018 से 31.08.2021 तक के लिए होगी। बन्दोंबस्ती राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

3 निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।

4 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में तालाब के नाम के सामने उल्लेखित जमानत की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

5 डाक के प्रथम वर्ष की राशि एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त जमा करना होगा एवं शेष दो वर्षो की राशि वित्तिय वर्ष के प्रथम माह में जमा करना होगा।

6 उच्चतम डाक की राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।

7 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

8 बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

9 एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा

10 उच्चतम डाक वक्ता को मतस्य बीज की प्राप्ति का श्रोत से अवगत कराना होगा।

11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र एवं किसी सरकारी कार्यालय या लोक उपक्रम के द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 तालाब एवं इसके आस–पास क्षेत्रों में निर्मित संरचना का रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

13 यह हर संभव प्रयास किया जायेगा कि तालाब प्रदुषित नहीं हो।

14 तालाब में आयोजित होने वाली पर्व–त्योहार को बाधित नहीं किया जाय।

15 किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करनें का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

सहायक नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Scanned by CamScanner